तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलकोन से प्रथम दृष्टया यह सावित है कि प्रार्थी सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय लिछमणराम के स्थान पर लिखमाराम दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थी को भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमावंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि लिछमणराम एवं लिखमाराम दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये लिखमाराम के स्थान पर लिछमणराम का राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 486, 487 में दर्ज सहखातेदार नाम लिखमाराम पुत्र शैतान के स्थान पर वास्तविक नाम लिछमणराम पुत्र शैतानराम दुरूस्त/दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार डेह को आदेश दिये जाते है कि वे ग्राम ऐवाद तहसील डेह की नकल जमावंदी खाता संख्या 486, 487 में दर्ज खसरानं. 557 व 721/375 में दर्ज नाम लिखमाराम पुत्र शैतानराम के स्थान पर लिछमणराम पुत्र शैतानराम दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

1. बैंक के रहन खसरान् बैंक के यथावत रहन रहेंगें(रहन होने की स्थिति में) संबंधित बैंक को सूचित हो।
2. तहसीलदार डेह की रिपोर्ट पत्रांक 953 दिनांक 14.06.2024 निर्णय का अभिन्न भाग मानी जावेगी।

यह आदेश आज दिनांक 13/07/24 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

सहायक कलक्टर (उ.खं.अ.) जायल

Scanned with CamScanner